प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 20.09.23

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा घर में चोरी करने वाले 4 अभियुक्तगण गिरफ्तार

दिनांक 28.08.2023 को वादी श्री अंकुर कुमार नि0 ए-40 अशोक नगर एवं दिनांक 31.08.2023 को वादी श्री अक्षय कुमार शर्मा नि0 बी-104 अशोक नगर के मकान से ताला तोड़कर चोरी किये गये जाना के सम्बन्ध में थाना सिहानीगेट पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया था।

आज दिनांक 20.09.2023 को पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज ,मुखबिर की सूचना व लोकल इनपुट के आधार पर अभियुक्तगण 1. कामिल पुत्र अमजद 2. चांद मौहम्मद पुत्र इलियास 3. नूरूद्दीन पुत्र नसरुद्दीन 4. मेवाराम पुत्र मूलचन्द को चेकिंग के दौरान होली चाईल्ड चौराहा रेलवे लाईन के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से दिनांक 28.08.2023 को श्री अंकुर कुमार नि0 ए-40 अशोक नगर एवं दिनांक 31.08.2023 को श्री अक्षय कुमार शर्मा नि0 बी-104 अशोक नगर के मकान से ताला तोड़कर चोरी किये गये जेवरात 10 पीली धातु के आभूषण कुल 51,000/- रूपये व मकान के ताले तोड़ने के उपकरण एक लोहे की नुकीली रॉड एवं एक देसी तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस व दो चाकू सहित गिरफ्तार किया गया है।

बरामदगी का विवरण

1. 51000/- रूपये नगद
2. 10 पीली धातु के आभूषण
3. एक देसी तमंचा .315 बोर मय एक कारतूस
4. दो चाकू
5. एक लोहे की नुकीली रॉड

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता

1. कामिल पुत्र अमजद निवासी ग्राम अकरोली थाना बनियाठेर जिला सम्भल हाल पता कब्रिस्तान के पास कस्बा चंदौसी जिला सम्भल
2. चांद मौहम्मद पुत्र इलियास नि0 म0न0 879 सै 3 माधोपुरम थाना ब्रहमपुरी जनपद मेरठ हाल पता किराये का मकान पावी सादिकपुर थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद
3. नूरूद्दीन पुत्र नसरुद्दीन नि0 टंकी मोहल्ला कस्बा गंवा थाना रजपुरा जिला सम्भल
4. मेवाराम पुत्र मूलचन्द नि0 मौहल्ला नेता कालोनी जयन्तीपुर थाना मझोला जिला मुरादाबाद

पूछताछ का विवरणः-

पूछताछ पर अभियुक्त कामिल द्वारा बताया कि उसने अपने साथी चांद मौहम्मद व नुरूद्दीन व अन्य साथियों के साथ चोरी करने के लिए गैंग बना रखा है जो बन्द घरों को टारगेट करके दिन में चोरी करते हैं। उपरोक्त घटनाओं में चोरी किये गये आभूषण मेवाराम नामक सुनार उपरोक्त को बेच दिये हैं। इससे पूर्व भी ये अभियुक्त दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ एवं एनसीआर क्षेत्र में चोरी कर चुके हैं।

अपराधिक इतिहास-

1-अभियुक्त कामिल के विरूद्ध

थाना सिहानीगेट, गा0बाद पर 06 अभियोग चोरी तथा 02 अभियोग आर्म्स एक्ट , थाना कीर्तिनगर, दिल्ली पर 09 अभियोग चोरी से सम्बन्धित ,कुल 17 अभियोग पंजीकृत हैं।

2-अभियुक्त चांद के विरूद्ध

थाना सिहानीगेट, गा0बाद पर 02 चोरी तथा 01 अभियोग आर्म्स एक्ट , थाना लालकुर्ती, मेरठ पर 01 चोरी से सम्बन्धित ,कुल 04 अभियोग पंजीकृत हैं।

3-अभियुक्त नूरूद्दीन के विरूद्ध

थाना सिहानीगेट, गा0बाद पर 02 चोरी तथा 01 अभियोग आर्म्स एक्ट पंजीकृत हैं।

कुल 03 अभियोग पंजीकृत हैं।

4-अभियुक्त मेवाराम के विरूद्ध चोरी से सम्बन्धित 01 अभियोग उत्तराखण्ड हल्द्वानी में पंजीकृत हैं।

गिरफ्तार करने वाली टीम

कोतवाली सिहानीगेट कमिश्नरेट गाजियाबाद

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा लूट की घटनायें (चैन स्नैचिंग) कारित करने वाले 02 अभियुक्त व लूट का माल खरीदने वाला 01 सुनार गिरफ्तार

दिनांक 27-08-23 को वादी योगिन्दर कुमार वर्मा पुत्र वेद प्राकाश वर्मा निवासी शास्त्रीनगर थाना कविनगर गाजियाबाद तथा दिनांक 18-09-23 को वादिया दीप्ती शर्मा पत्नि दीपक शर्मा निवासी एससी 329 शास्त्रीनगर गाजियाबाद के द्वारा चैन स्नैचिंग के सम्बन्ध में थाना कविनगर अभियोग पंजीकृत कराया गया। जिनके अनावरण हेतु टीमें गठित की गई थी।

कार्यवाही का विवरणः- घटना के अनावरण हेतु पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये इलैक्ट्रोनिक सर्विलांस व मैनुअल मुखबिरी के आधार पर दिनांक 20.09.2023 को उक्त घटना को कारित करने वाले 2

अभियुक्तगण 1. दीपक यादव पुत्र कालू यादव नि0 बैंक वाली गली प्रहलाद गढी थाना इंदिरापुरम जिला गाजियाबाद बदांयू उम्र करीब 38 वर्ष 2.जोगिंदर सिंह पुत्र मनवीर सिंह नि0 आदित्य वर्ल्ड सिटी 19 वां फ्लोर फ्लैट नं0 1907 थाना वेव सिटी गाजियाबाद उम्र करीब 27 वर्ष व लूट का माल खरीदने वाले 01 अभियुक्त (सुनार) उमेश वर्मा पुत्र ओमप्रकाश वर्मा नि0 म0नं0 155 वसुंधरा थाना इंदिरापुरम गाजियाबाद उम्र करीब 65 वर्ष को आरडीसी वाले पुल के नीचे से गिरफ्तार किया गया। तथा दोनो घटनाओं से सम्बन्धित माल व घटना में प्रयुक्त मोटर साईकिल की बरामदगी की गयी। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी-

- एक चैन पीली धातु दो टुकड़ो में
- 2500 रू/- नकद
- 01 मोटर साइकिल TVS SPORTS ग्रे कलर बिना नंबर प्लेट

अभियुक्तगण का नाम पता -

1. दीपक यादव पुत्र कालू यादव नि0 बैंक वाली गली प्रहलाद गढी थाना इंदिरापुरम जिला गाजियाबाद बदांयू उम्र करीब 38 वर्ष
2. जोगिंदर सिंह पुत्र मनवीर सिंह नि0 आदित्य वर्ल्ड सिटी 19 वां फ्लोर फ्लैट नं0 1907 थाना वेव सिटी गाजियाबाद उम्र करीब 27 वर्ष
3. उमेश वर्मा पुत्र ओमप्रकाश वर्मा नि0 म0नं0 155 वसुंधरा थाना इंदिरापुरम गाजियाबाद उम्र करीब 65 वर्ष

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त दीपक यादव ने बताया कि मैं अपने साथी जोगिंदर सिंह के साथ मिलकर उसकी मोटर साईकिल से रिहायशी इलाकों की सुनसान सड़कों में घुमता रहता था तथा मौका मिलते ही सड़क चलते लोगों के गले से चैन लूट लेते थे। तथा उसे उमेश वर्मा सुनार को कम दाम में बेच देते थे। जो पैसा मिलता था उसे मैं और जोगिन्दर आपस में बाँट लेते थे। इससे हम लोगो की अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। यही हमारी आजीविका का साधन है। अभियुक्त जोगिन्दर सिंह व उमेश वर्मा ने अभियुक्त दीपक यादव की बात का समर्थन किया।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. दीपक यादव पुत्र कालू यादव के विरूद्ध

- कमिश्नरेट गाजियाबाद में 13 मुकदमें लूट व चोरी के पंजीकृत हैं।
- कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर में 5 मुकदमें हत्या के प्रयास के पंजीकृत हैं।
  कुल 18 मुकदमें पंजीकृत हैं।

2. जोगिन्दर सिंह पुत्र मनवीर सिंह के विरूद्ध

- कमिश्नरेट गाजियाबाद में 3 मुकदमें लूट व चोरी के पंजीकृत हैं।

3. उमेश वर्मा पुत्र ओम प्रकाश वर्मा के विरूद्ध

- कमिश्नरेट गाजियाबाद में 2 मुकदमें लूट व चोरी के पंजीकृत हैं।

गिरफ्तार करने वाले टीम:-

कुख्यात भू–माफिया महबूब अली पुत्र नूर मौहम्मद निवासी ग्राम पावी सादकपुर, थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद की गैंगस्टर अधिनियम के अन्तर्गत पूर्व से कुर्क रु0 91 करोड़ की सम्पत्ति के अतिरिक्त आज दिनांक 20.09.2023 को रु0 76 करोड़ की सम्पत्ति कुर्क

कुख्यात भू–माफिया महबूब अली जिसका मुख्य पेशा सरकारी जमीनों पर कब्जा कर प्लाटिंग करना है तथा जिसकी 4 सितम्बर 2023 को पुलिस आयुक्त गाजियाबाद द्वारा रु0 91 करोड़ की कुल 09 अचल सम्पत्तियाँ (गाजियाबाद, रामपुर, बदायूँ एवं मुरादाबाद में स्थित) कुर्क की गयी थीं, के क्रम में आज दिनांक 20.09.2023 को उक्त कुर्क सम्पत्तियों के अतिरिक्त दिल्ली एवं गाजियाबाद में स्थित 07 अन्य अचल सम्पत्तियों, जिनका बाजार मूल्य लगभग रु0 76 करोड़ है, को कुर्क करने के आदेश निर्गत किये गयें हैं।

2. उल्लेखनीय है कि भू–माफिया महबूब अली द्वारा वर्ष 2001 से ही आपराधिक कृत्य किये जा रहे हैं, जिसमें मुख्यतः धोखा–धड़ी करके जमीनों की खरीद–फरोख्त करना एवं खाली पड़ी जमीनों पर अवैध कब्जा करना सम्मिलित हैं। गैंग लीडर महबूब अली वर्तमान में थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद का हिस्ट्री शीटर है, जिसका एच.एस. संख्या 16ए प्रचलित है। इसके परिवार में इसके एवं इसकी तीन पत्नियों के अतिरिक्त 12 पुत्र/ पुत्रियाँ हैं।

3. कुर्क की गयी इन अचल सम्पत्तियों में से 03 सम्पत्तियाँ दिल्ली में व 04 सम्पत्तियाँ गाजियाबाद महानगर में हैं एवं इन समस्त सम्पत्तियों का वर्तमान में आवासीय/व्यवसायिक प्रयोग हो रहा है।

4. इस प्रकार **महबूब अली की अब तक कुल रु0 167 करोड़ की अचल सम्पत्तियों** को कुर्क किया जा चुका है।

5. उल्लेखनीय है कि वर्ष 2023 में इससे पूर्व कुल 08 मामलो में 183 करोड़ रु0 की सम्पत्तियाँ जब्त की गयी थीं तथा महबूब अली की आज जब्त सम्पत्तियों के बाद यह धनराशि रुपये **दो सौ उन्सठ करोड़ सडसठ लाख (2,59,67,84,336)** हो गयी है, जबकि **वर्ष 2022 में कुल 30 मामलो में 33 करोड़ 80 लाख रुपये** की सम्पत्ति कुर्क की गयी थी।

अचल सम्पत्ति

क्र स0	सम्पत्ति का स्वामी	तह सील	खसरा न0	रकबा	अनुमानित बाजार

0					कीमत
1	महबूब अली पुत्र नूर मौहम्मद निवासी आर-18ए रघुवीर नगर दिल्ली -27 मूल निवासी ग्राम पावी सादिकपुर लोनी थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद	दिल्ली	म0नं0 60ए, खसरा नं0 11/6/7/1 कविता कालोनी ग्राम नांगलोई जट, दिल्ली	250 वर्ग गज	रु0 06 करोड़
2	महबूब अली पुत्र नूर मौहम्मद निवासी ए-60 कविता कालोनी नांगलोई, दिल्ली-41 मूल निवासी ग्राम पावी सादिकपुर लोनी थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद	दिल्ली	प्लाट नं0 54, खसरा नं0 11/6,7/1 ग्राम नांगलोई जट, कविता कालोनी दिल्ली-41	150 वर्ग गज	रु0 04 करोड़
3	महबूब अली पुत्र नूर मौहम्मद निवासी इन्द्रापुरी ग्राम धरौटी खुर्द लोनी मूल निवासी ग्राम पावी सादिकपुर लोनी थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद	दिल्ली	प्लाट नं0 62, खसरा नं0 11/16, 12/20, व 21/1 ग्राम नांगलोई जट, कविता कालोनी दिल्ली-41	भूतल पर दुकाने व प्रथम तल तक बना हुआ टैरिस सहित 150 वर्ग गज	रु0 06 करोड़
4	महबूब अली पुत्र नूर मौहम्मद निवासी ग्राम पावी सादिकपुर लोनी थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद	सदर चतुर्थ गाजियाबाद	खाता नं0 424 खसरा नं0 11 कृषि भूमि स्थित ग्राम इलायचीपुर परगना व तहसील लोनी जिला गाजियाबाद	0.1686 हैक्टेयर	रु0 10 करोड़
5	महबूब अली पुत्र नूर मौहम्मद नि0 ग्राम धरौटी खुर्द गाजियाबाद मूल निवासी ग्राम पावी सादिकपुर लोनी थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद	सदर चतुर्थ गाजियाबाद	खसरा नं0 11 व 12 कृषि भूमि स्थित ग्राम इलायचीपुर परगना व तहसील लोनी जिला गाजियाबाद	500 वर्ग गज यानि 418.05 वर्ग मीटर	रु0 5 करोड़
6	महबूब अली पुत्र नूर मौहम्मद निवासी ग्राम पावी सादिकपुर लोनी थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद	सदर गाजियाबाद	खसरा नं0 761, 762, 763, ग्राम मीरपुर हिन्दु तहसील लोनी जिला गाजियाबाद	16 बीघा जमीन	रु0 35 करोड़
7	महबूब अली पुत्र नूर मौहम्मद निवासी ग्राम पावी सादिकपुर लोनी थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद	सदर गाजियाबाद	वार्ड संख्या 48 मकान क्र0सं0 1660 स्थित नगर पालिक परिषद लोनी गाजियाबाद जिसमें भूतल पर 11 दुकान व प्रथम तल पर 3 कमरे बने है।	200 वर्ग गज	रु0 10 करोड़

आपराधिक इतिहास

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद

1	101/2008	भादवि 406,420,448,504,506	लोनी	गाजियाबाद
2	301/2008	भादवि 342,354,506	लोनी	गाजियाबाद
3	1074/2008	भादवि 363,366,376,323,504,506	लोनी	गाजियाबाद
4	ए/20081758	भादवि 406,420	लोनी	गाजियाबाद
5	बी/20081758	भादवि 406,420,506	लोनी	गाजियाबाद
6	1760/2008	भादवि 406,420,506	लोनी	गाजियाबाद
7	1761/2008	भादवि 406,420,506	लोनी	गाजियाबाद
8	1766/2008	भादवि 406,420,506	लोनी	गाजियाबाद
9	1767/2008	भादवि 406,420,506	लोनी	गाजियाबाद
10	128/2009	गैगंस्टर अधि0 2/3	लोनी	गाजियाबाद
11	2218/2009	सीआरपीसी, 411 414 41/102 भादवि	सिविल लाईन	रामपुर
12	2219/2009	आर्मस एक्ट 25	सिविल लाईन	रामपुर
13	726/2010	भादवि 420,467,468,471,506	सिविल लाईन	रामपुर
14	1410/2016	भादवि 447,448,354,504,506	ट्रोनिका सिटी	गाजियाबाद
15	363/2017	भादवि 420,467,468,471,504,506	ट्रोनिका सिटी	गाजियाबाद
16	206/2018	यू0पी0 गुण्डा अधि0 10	ट्रोनिका सिटी	गाजियाबाद
17	360/2023	भादवि व 2 /3 सार्वजनिक सम्पत्ति 447 नुकासन नि अधि0 0	ट्रोनिका सिटी	गाजियाबाद
18	369/2023	(भादवि 3(1 504,506द एससीएसटी / एक्ट	ट्रोनिका सिटी	गाजियाबाद
19	370/2023	भादवि 504,506	ट्रोनिका सिटी	गाजियाबाद
20	459/2023	भादवि 323,504,506	ट्रोनिका सिटी	गाजियाबाद

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा नौकर द्वारा पैसे चोरी (गबन) करने से सम्बन्धित 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 08 लाख रूपये बरामद ।

दिनांक 19.09.2023 को थाना साहिबाबाद पर वादी की लिखित तहरीर के आधार पर 10 लाख रूपये स्वयं के नौकर द्वारा गबन करने के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत हुआ था। थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर दिनांक 20.09.2023 को 02 अभियुक्त 1.शेरदीन पुत्र लतीफ निवासी अहमदशाहपुर पदडा थाना कोतवाली बागपत जिला बागपत उम्र 55 वर्ष 2.सलमान पुत्र शेरदीन निवासी अहमदशाहपुर पदडा थाना कोतवाली बागपत जिला बागपत उम्र 20 वर्ष को नागद्वार चौराहे से गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 08 लाख रूपये नगद बैग सहित बरामद हुए। अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

कार्यवाही एवं पूछताछ का विवरण

अभियुक्तगण से पूछताछ की गयी तो अभियुक्त शेरदीन ने बताया कि मेरे दो बेटे सलमान व फरमान है मेरा बडा बेटा फरमान 06 वर्ष पहले मोहननगर में एक फैक्ट्री मालिक लाला जी के यहाँ ड्राइवर का काम करता था जिसे किसी कारणवश फैक्ट्री मालिक ने काम से निकाल दिया था लगभग 01 माह पहले मैने पुन: अपने बेटे फरमान को किसी भी तरह लाला के यहाँ नौकरी पर रखवाने को सोचा था। फिर मैने फैक्ट्री मालिक (लाला) के हाथ पैर जोडकर अपने बडे बेटे फरमान को फैक्ट्री मालिक(लाला) के यहाँ नौकरी पर रखवा दिया था। फिर मेरे बेटे फरमान ने मुझे बताया कि फैक्ट्री मालिक के पास बहुत पैसा है। मैने व मेरे दोनों बेटों ने आपस में योजना बनायी थी कि हम फैक्ट्री मालिक के पैसो को चोरी कर लेगे। और फिर उससे अपना कर्जा उतार देगे। 04 दिन पहले फरमान को फैक्ट्री मालिक ने 10 लाख रूपये देकर बैक में जमा करने के लिये कहा था मौका देखकर फरमान फैक्ट्री मालिक के 10 लाख रूपये लेकर भाग आया था। हमारे पास से जो 08 लाख रूपये मिले है ये उन्ही पैसो में से जो फरमान ने हम लोगों को लाकर दिये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

1.शेरदीन पुत्र लतीफ निवासी अहमदशाहपुर पदडा थाना कोतवाली बागपत जिला बागपत उम्र 55 वर्ष

2.सलमान पुत्र शेरदीन निवासी अहमदशाहपुर पदडा थाना कोतवाली बागपत जिला बागपत उम्र 20 वर्ष

बरामदगी का विवरण

08 लाख रूपये नगद मय बैग

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा 02 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से फर्जी नम्बर प्लेट लगी चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद

दिनांक 20.09.2023 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर 02 शातिर वाहन चोर 1. प्रिन्स पुत्र पप्पू सिंह निवासी ग्राम खडखड़ी थाना लोनी , गाजियाबाद, 2. अखिलेश पुत्र राम सिंह निवासी ग्राम पंचलोक थाना ट्रोनिका सिटी, गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से फर्जी नम्बर प्लेट लगी चोरी की 01 मोटर साइकिल स्पलेंडर प्लस बरामद हुई है। अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ के दौरान अभियुक्तों ने बताया कि यह मोटर साइकिल हम दोनो ने करीब 02 साल पहले एक होटल के पास से चुराई थी, हम लोग इसकी नम्बर प्लेट बदलकर चोरी छिपे चलाते है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

1. प्रिन्स पुत्र पप्पू सिंह निवासी ग्राम खडखड़ी थाना लोनी , गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष,
2. अखिलेश पुत्र राम सिंह निवासी ग्राम पंचलोक थाना ट्रोनिका सिटी, गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष,

बरामदगी का विवरण:-

- फर्जी नम्बर प्लेट लगी चोरी की 01 मोटर साइकिल हीरो स्प्लेंडर प्लस,

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

थाना खोडा पुलिस टीम द्वारा गैगस्टर एक्ट मे वांछित 25000-25000 रु0 के इनामी 02 अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 19.09.2023 को थाना खोडा पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर गैगस्टर एक्ट मे वांछित अभियुक्तगण 1. राजू पुत्र गोपाल निवासी एम ब्लाक रघुवीर नगर थाना रघुवीर नगर दिल्ली 2. देवेन्द्र पुत्र मुरारीलाल निवासी एन- 55 मोहन गार्डन दिल्ली हाल पता अशोक नगर गली न0 7 नांगलोई थाना नांगलोई दिल्ली को इतवार पुस्ता से गिरफ्तार किया गया। ये दोनो अभियुक्त विगत करीव एक वर्ष से फरार चल रहे थे। इनकी गिरफ्तारी पर 25 -25 हजार रुपये का ईनाम घोषित था।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्तगण एक संगठित गिरोह के सदस्य है , इस गिरोह के द्वारा राह चलते व्यक्तियो को नशीला पदार्थ सुंघाकर अपने वश मे कर उनके जेवर आदि उतरवाकर ठगी की जाती है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता

.1.राजू पुत्र गोपाल निवासी एम ब्लाक रघुवीर नगर थाना रघुवीर नगर दिल्ली उम्र 50 वर्ष

.2. देवेन्द्र पुत्र मुरारीलाल निवासी एन- 55 मोहन गार्डन दिल्ली हाल पता अशोक नगर गली न0 7 नांगलोई थाना नांगलोई दिल्ली उम्र 53 वर्ष

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास

अभियुक्त गण के विरुद्व गाजियाबाद मे धोखाधडी का 01, जहरखुरानी का 01 व गैंगस्टर एक्ट का 01 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम

थाना खोडा पुलिस टीम

थाना वेवसिटी पुलिस टीम द्वारा द्वारा बिजली के तार चोरी करने वाले 08 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किया गया करीब 5 कुन्तल बिजली का एल्यूमीनियम का तार व एक छोटा हाथी (गाड़ी) बरामद।

दिनांक 20.09.2023 को थाना वेवसिटी पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान 08 शातिर तार चोर 1.संजय पुत्र ऋषिपाल उम्र 28 वर्ष, 2.पुष्पेन्द्र पुत्र कमल सिंह उम्र 24 वर्ष 3.तिलक राज पुत्र गोपीचन्द उम्र 28 वर्ष निवासीगण नवावपुरा भूड़ थाना धनौरा मण्डी जनपद अमरोहा , 4.नितिन पुत्र रामसेवक निवासी ग्राम बबाना थाना बबाना दिल्ली 42 उम्र 20 वर्ष, 5.अफसार पुत्र शफीक उम्र 22 वर्ष, 6. सोहित पुत्र गुलजार उम्र 20 वर्ष , 7.रिहान पुत्र जाहिद निवासीगण गोला डेयर सैक्टर 19 द्वारिका छावला दिल्ली उम्र 19 वर्ष, 8.कमल पुत्र मोहन सिंह निवासी सावा डेयरी सैक्टर 26 रोहिणी दिल्ली उम्र 18 वर्ष को सनसिटी गेट के पास से गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से चोरी किया गया करीब 5 कुन्तल बिजली का एल्यूमीनियम का तार व **एक छोटा हाथी (गाड़ी) बरामद** किये गये है। अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।
पूछताछ के दौरान अभियुक्तों ने बताया कि हम लोग काफी दिनो से गाजियाबाद , गजरौला, हापुड़ आदि क्षेत्रो के जंगलो से बिजली के तार को चोरी करते है तथा चोरी किये गये सामान को हम लोग ईख के खेतों में छुपाकर इकट्ठा कर लेते है जिसे मौका मिलने पर इसी छोटा हाथी में भरकर इदरीश निवासी इनायतपुर थाना धनौरा मण्डी जनपद अमरोहा के द्वारा बताये गये कबाड़ी रवि निवासी पन्सारी थाना बेगमपुर दिल्ली के यहां ले जाकर बेचते है, आज भी हम लोग बिजली के तारो के बण्डलो को छोटा हाथी में भरकर बेचने दिल्ली जा रहे थे, कि आपने हमें पकड़ लिया।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त–

1.संजय पुत्र ऋषिपाल निवासी नवावपुरा भूड़ थाना धनौरा मण्डी जनपद अमरोहा उम्र 28 वर्ष,
2.पुष्पेन्द्र पुत्र कमल सिंह निवासी नवावपुरा भूड़ थाना धनौरा मण्डी जनपद अमरोहा उम्र 24 वर्ष
3.तिलक राज पुत्र गोपीचन्द निवासी नवावपुरा भूड़ थाना धनौरा मण्डी जनपद अमरोहा उम्र 28 वर्ष,
4.नितिन पुत्र रामसेवक निवासी ग्राम बबाना थाना बबाना दिल्ली 42 उम्र 20 वर्ष,
5.अफसार पुत्र शफीक निवासी गोला डेयरी सैक्टर 19 द्वारिका छावला दिल्ली,
6. सोहित पुत्र गुलजार निवासी गोला डेयरी सैक्टर 19 द्वारिका छावला दिल्ली उम्र 20 वर्ष ,
7.रिहान पुत्र जाहिद निवासी गोला डेयरी सैक्टर 19 द्वारिका छावला दिल्ली उम्र 20 वर्ष,
8.कमल पुत्र मोहन सिंह निवासी सावा डेयरी सैक्टर 26 रोहिणी दिल्ली उम्र 19 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

1. करीब 5 कुन्तल बिजली का एल्यूमीनियम का तार
2. एक छोटा हाथी

गिरफ्तार व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

थाना वेवसिटी पुलिस टीम ।

थाना लोनी पुलिस द्वारा घर मे चोरी करने वाला एक शातिर चोर गिरफ्तार कब्जे से चोरी की एलईडी टीवी बरामद ।

दिनांक 20.09.2023 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के घर मे चोरी करने वाले एक शातिर चोर करन पुत्र काली चरण निवासी राम विहार बंथला थाना लोनी गाजियाबाद को चोरी की गयी एक एलईडी टीवी (SAINYO कम्पनी मॉडल नंबर YEAT SN 3200 SMT2022) सहित गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

1.करन पुत्र काली चरण निवासी राम विहार बंथला थाना लोनी, गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष,

अभियुक्त से पूछताछ का विवरण

अभि0 करन पुत्र काली चरण निवासी राम विहार बंथला थाना लोनी गाजियाबाद ने पूछताछ के दौरान बताया कि साहब मै नशा करने का आदि हूँ और अपनी नशे की आदतो को पूरा करने के लिए चोरी करता हूँ और अपना खर्चा चलाता हूँ। मै पूर्व मे भी चोरी मे जेल जा चुका हूँ।

आपराधिक इतिहास –

थाना लोनी पर पंजीकृत अभियोग की संख्या -02,

बरामदगी का विवरणः-

1. **एलईडी टीवी SAINYO कम्पनी मॉडल नंबर YEAT SN 3200 SMT2022**,

गिरफ्तार करने वाली टीम

पुलिस टीम थाना लोनी,

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत मिलने वाले 75-75 हजार रूपये अनुचित रूप से प्राप्त करने वाली 02 अभियुक्ता गिरफ्तार

घटना का विवरणः- दिनांक 20.05.2023 को वादी शैलजा आनन्द (श्रम प्रवर्तन अधिकारी) गाजियाबाद द्वारा सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत पूर्व से शादीशुदा प्रतिवादीगण द्वारा फर्जी तरीके से पंजीकरण कराकर सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत मिलने वाले अनुदान 75-75 हजार रूपये प्राप्त कर लेने के सम्बन्ध में थाना सिहानीगेट पर अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

कार्यवाही का विवरणः

साक्ष्य संकलन के आधार पर विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 20.09.23 को कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस टीम द्वारा उक्त अभियोग मे वांछित 02 महिला अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना सिहानीगेट पुलिस टीम

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस टीम द्वारा 01 वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 27.06.2023 को वादी श्री देव कुमार प्रधानाचार्य श्री सनातन धर्म इण्टर कालिज गाजियाबाद ने सम्मिलित पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी (स0क0) एवं समाज कल्याण पर्यवेक्षक की परीक्षा मे साल्वर शशि कुमार अभ्यर्थी रजत कुमार पुत्र निपेन्दर सिंह की जगह धोखाधडी षडयंत्र रचकर परीक्षा मै बैठा था अभियुक्त शशि कुमार मौके पर पकडा गया था जिसके सम्बन्ध मे थाना कोतवाली नगर पर वादी की तहरीर पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसमें अभियुक्त रजत वाँछित चल रहा था।

कार्यवाही का विवरण-

आज दिनांक 20/09/2023 को लोकल इनपुट व सर्विलांस की मदद से वाँछित अभियुक्त रजत कुमार पुत्र श्री निपेन्द्र सिंह निवासी ग्राम रामवाला शेखु थाना ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद को कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त के घर से गिरफ्तार किया गया। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ पर अभियुक्त रजत कुमार ने बताया कि दिनांक 27.06.2023 को मेरी ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा थी। जिसमें मैने फेल हो जाने के डर से अपने स्थान पर शशि कुमार पुत्र विनय कुमार चौहान निवासी ग्राम जियर थाना बिहार शरीफ जनपद नालन्दा बिहार को अपना प्रवेश पत्र व आईडी आधार देकर परीक्षा में बैठा दिया था। शशि कुमार पकड गया मैं पकडे जाने की डर वहां से भाग गया।

नाम पता अभियुक्त-

रजत कुमार पुत्र श्री निपेन्द्र सिंह निवासी ग्राम रामवाला शेखु थाना ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद

आपराधिक इतिहास -

गाजियाबाद मे 01 मुकदमा धोखाधडी व परीक्षा अधिनियम का पंजीकृत है

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

थाना टीला मोड़ पुलिस टीम द्वारा दहेज हत्या मे वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 20.09.23 को थाना टीला मोड़ पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सुचना पर दहेज हत्या मे वांछित अभियुक्त नाजिम पुत्र इमरान नि0 पसौंडा थाना टीला मोड, गाजियाबाद उम्र 30 वर्ष को पसौन्डा पुलिया से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

अभियुक्त नाजिम पुत्र इमरान नि0 पसौंडा थाना टीला मोड , गाजियाबाद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना टीला मोड पुलिस टीम ।